an>

Title: Regarding protection of women from domestic violence.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। आपको याद होगा, जब आप स्वयं वूमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री हैंडल करती थी, हम आपके पास जेंडर बजटिंग को लेकर आते थे। बहुत वर्ष बाद प्रोटेक्शन आफ वूमेन फ्राम डोमेस्टिक एक्ट पारित हुआ। इस कानून को पारित किए हुए नौ वर्ष हो गए हैं। इन सब प्रयासों के बाद आज देखने को मिलता है घरेलू हिंसा के कारण परिवारों में अशांति है और इसका असर बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और स्वास्थ्य आदि चीजों पर पड़ता है। महिलाएं जब घरेलू हिंसा से पीड़ित होती हैं तब उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं होती है, इसलिए सरकार का प्रावधान शैल्टर होम्स बनाने का था। जब शैल्टर होम्स की स्थिति देखी गई तब पता चला कि मात्र 154 शैल्टर होम्स कर्नाटक में है और बाकी तमाम राज्यों में आंकड़ा 0 से 5 के बीच में है। इसी प्रकार सब राज्यों में हैल्थ सैंटर्स का रेश्यो 0 से 5 के बीच में है। प्रोटेक्शन आफिसर्स, जो कि इस एक्ट की इम्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा माध्यम है, इसका आंकड़ा भी पिछले दस वर्षों में लगातार गिरता जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि जहां वूमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री ने एक्ट के लिए फाइनेंशियल एड कम की है, उसका कारण शायद यह है कि फाइनेंस कमीशन के मुताबिक 42 प्रतिशत बजट का हिस्सा राज्यों को दे दिया गया है। मैं कहना चाहती हूं कि 42 प्रतिशत बजट का हिस्सा दे दिया गया है लेकिन इसमें स्पेसिफिक प्रावधान न होने के कारण कोई मॉनिटरिंग एजेंसी मानीटर नहीं कर रही है कि शैल्टर होम्स पर कितना खर्च हुआ, फैमिली हैल्थ पर कितना खर्च हुआ और प्रोटेक्शन अफसर कितने बनाए गए।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि अगर जेंडर बजटिंग बजट के माध्यम से लागू की जाए और इस एक्ट की इम्पलीमेंटेशन की तरफ ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री केशव प्रसाद मौर्य,

श्री पी.पी. चौधरी,

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे और कुमारी शोभा कारान्दलाजे को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।